पैट्रोलियम के उप-उत्पादों का आयात

1170. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून 1980 की अवधि के दौरान किन-किन व्यक्तियों अथवा व्यापारिक संस्थानों को पेट्रोलियम के विभिन्न उप-उत्पादों का आयात करने का लाइसेंस दिया गया है तथा ये लायसेंस कितने रुपये तक के लिये है ; और

(ख) क्या यह सच है कि इस आयात के बिना देश का काम चल सकता है ?

†[**Import of by-products of petroleum**

1170. SHRI HUKMDEO NARAYAN YADAV: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the names of parties or business establishments who have been given licences to import different by-products of petroleum, together with their cost during the period from January to June 1980; and

(b) whether it is a fact that country could pull on without this import?]

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों का आयात केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे आई० ओ० सी० एच० पी० सी० एल० और बामर लारी इत्यादि, जो कि इस प्रकार के आयात के लिये प्रमुख सरणीवद्ध एजेन्सियां हैं, के माध्यम से ही किया जाता है । इससे अधिक विवण देना जनहित में नहीं होगा ।

(ख) इन आयातों के बिना काम चलाना कठिन होगा ।

†[THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) The import of different bye-products of petroleum is done through only public sector undertakings *viz.* Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation Ltd. and Balmer Lawrie etc., who are the main canalising agencies for such imports. It would not be in public interest to disclose further details.

(b) It would be difficult to pull on without these imports.]

उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों की कुल संख्या

1171. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के उच्च न्यायालयों में कुल कितने न्यायाधीश हैं और उन में से कितने हरिजन आदिवासी महिलायें और अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के है ; और

(ख) भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये कितने अधिवक्ता इस समय विभिन्न सरकारी विभागों तथा आयोगों में कार्य कर रहे है और उनमें से कितने हरिजन, आदिवासी, महिलायें और अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के है ?

†[**Total strength of High Court Judges**

1171. SHRI HUKMDEO NARAYAN YADAV: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total strength of High Courts Judges of the country at present and how many of them are Harijans, Adivasis, Women and those belonging to minority and backward communities; and

†[ ] English translation